

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पी.टी.सी. अधिकारी-

रामरतन साँकरिया

फाइल नम्बर

तारीख दायरा

आर.ए.एस.

35/2025 प्रा.पत्र/2025

15.05.2025

तारीख निर्णय

27.06.2025

श्री. कुमर शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक हाल कार्यालय खाद्य सुरक्षा व
शोध नियंत्रण सीकर राज0

प्रार्थी

बनाम

श्री पॉचूलाल महावर पुत्र श्री बरधीचन्द महावर निवासी अस्तल रोड छावनी टोंक जिला
टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स राज किराणा स्टोर अस्तल रोड छावनी टोंक जिला टोंक(राज0)।
पिनकोड-304001 मोबाईल नं0 7737832256

मैसर्स राज किराणा स्टोर अस्तल रोड छावनी टोंक जिला टोंक राज0। पिनकोड-304001

अप्रार्थी

सुर्मा अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)
की उप धारा (ii),(v) एवं दण्डनीय धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अप्रार्थी श्री पांचू लाल महावर स्वयं उप0।

:-निर्णय:-

दिनांक 27/6/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी
दिनांक 16.12.2024 को समय 02:00 पी.एम. पर मैसर्स राज किराणा स्टोर अस्तल रोड छावनी
टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से पॉचूलाल
महावर पुत्र श्री बरधीचन्द महावर अपने प्रतिष्ठान मैसर्स राज किराणा स्टोर अस्तल रोड
छावनी टोंक जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ गुड, तेल, घी व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार
करते हुए उपस्थित मिला, श्री पॉचूलाल महावर पुत्र श्री बरधीचन्द महावर को अपना परिचय
दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री पॉचूलाल महावर पुत्र श्री बरधीचन्द महावर ने स्तयं
को प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने
पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि
आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में गुड, तेल, घी व मसालों के साथ-साथ दुकान
की एक टंकी में लगभग 12-13 किलोग्राम घी(खुला) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं
मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं
मिलावट की शंका होने पर श्री पॉचूलाल महावर पुत्र श्री बरधीचन्द महावर को फार्म नं. 5 ए



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री पंचूलाल महावर पुत्र श्री बरहीचन्द्र महावर व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तरदीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि दुकान में स्टील की एक टंकी में लगभग 12-13 किलोग्राम घी(खुला) से से 800 ग्राम घी(खुला) वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रशीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी(खुला) 800 ग्राम को प्लास्टिक की साफ व सूखी शिशियों में बराबर-बराबर प्रत्येक शिशी 200-200 ग्राम घी खुला भरकर शिशियों के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाइट कर, नियमानुसार चार भाग तैयार किये, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-4219 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-4219 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रशीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफएसएस/2025/29 दिनांक 15.01.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/5284/एक्ट /2024/5191 दिनांक 23.12.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच कय किया गया घी(खुला) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के रेगुलेशन नं. 2.3.7(2) के अनुसार कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।



ASL
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।
अप्रार्थी की ओर से पांचूलाल महावर स्वयं उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य
पदार्थ में किसी तरह की गिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी
मानकों को पूरा करता है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः
प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना
पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस घी(खुला) का
विक्रय कर रहे थे, वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों को पूरा नहीं करता है। उक्त
घी(खुला) जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) व अवमानक(Sub-Standard) स्तर का होना
पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व
58(सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी
जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व
पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया घी(खुला) का नमूना जांच में
कॉन्ट्रावेन (Contravene) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त
कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा
2(ii)(v) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की
श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल
शास्ति रूपये 50,000/- (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त
दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के
अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं
करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को
भिजवायी जावे। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात्
नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर
हो।

निर्णय आज दिनांक 27/11/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(समरल सोकार्या)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक